भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 23
30 नवम्बर, 2021 को उत्तरार्थ

भारी वर्षा के कारण फसलों की क्षति

*23. श्री श्रीरंग आप्पा वारणे:
श्री सुब्रत पाठक:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान वर्षा ऋतु के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में भारी वर्षा के कारण कितने मूल्य की कृषि एवं बागवानी फसलों की क्षति हुई है;
(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सहायता प्रदान किए जाने हेतु राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो जारी की गई धनराशि सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा किसानों को जानमाल, संपत्ति एवं पशुधन के हुए नुकसान की भरपाई करने हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“भारी वर्षा के कारण फसलों की क्षति'' के संबंध में दिनांक 30.11.2021 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 23 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत के उपाय करती हैं जिसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार उनके निपटान में पहले से ही रखा गया है। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदंडों के तहत अनुमोदित सहायता राहत के रूप में प्रदान की जाती है।

जैसा कि राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्ट दी गई है, वर्ष 2021 के दौरान लगभग 50 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र चक्रवाती तूफान/बाढ़/अचानक बाढ़/भूस्खलन/बादल फटने आदि के कारण प्रभावित हुआ है। गृह मंत्रालय ने 14 राज्यों और 02 संघ-राज्य क्षेत्रों (यूटी) में 19 अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) को प्रतिनियुक्त किया, जिसका विवरण अनुबंध में दिया गया है।

<u>अनुबंध</u>

दिनांक 30.11.2021 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या 23 के विवरण में उल्लिखित अनुबंध

2021 के दौरान चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन के कारण हुए नुकसान का आकलन करने के लिए प्रतिनियुक्त आईएमसीटी का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	आपदा
1.	आंध्र प्रदेश	बाढ़ 2021
2.	असम	बाढ़ 2021
3.	बिहार	बाढ़ 2021
4.	गुजरात	चक्रवात 'तौक्ते', मई 2021
5.	गोवा	चक्रवात 'तौक्ते, मई 2021
6.	हिमाचल प्रदेश	बाढ़ / भूस्खलन, 2021
7.	कर्नाटक	(i) चक्रवात 'तौक्ते', मई 2021
		(ii) बाढ़ / भूस्खलन, 2021
8.	मध्य प्रदेश	बाढ़ 2021
9.	महाराष्ट्र	(i) चक्रवात 'तौक्ते', मई 2021
		(ii) बाढ़ 2021
10.	ओडिशा	चक्रवात 'यास', 2021
11.	राजस्थान	बाढ़ 2021
12.	तमिलनाडु	बाढ़ 2021
13.	उत्तराखंड	बाढ़ / भूस्खलन, 2021
14.	पश्चिम बंगाल	(i) चक्रवात 'यास' , मई 2021
		(ii) बाढ़ 2021
15.	दमन और दीव (यूटी)	चक्रवात 'तौक्ते', मई 2021
16.	पुडुचेरी (यूटी)	बाढ़ 2021

***